रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 8, 2013/माघ 19, 1934
No. 32] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 8, 2013/MAGHA 19, 1934

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2013

फा. सं. 4/15015/30/2011.—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप विनियम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 26 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खण्ड (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 के पृष्ठ 1 से 9 में भारत सरकार के भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फा. सं. 4/15015/30/2011 तारीख 29 दिसम्बर, 2011 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, से उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी; से दस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां 2 जनवरी, 2012 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :—

विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) (संशोधन) विनियम, 2013 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 में,—

   (क) प्रस्तावना के आरंभिक भाग में, "धारा 26 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ठ)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "धारा 92" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

   (ख) विनियम 21 के उप-विनियम 2.1.1, में दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि उप-विनियम 2.1.1 के खण्ड (8) और खंड (10) से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.12.1 में यथा परिभाषित सांपतिक खाद्य वस्तुओं को इन विनियमों के प्रचालन से छूट प्राप्त होगी ।"

के. चन्द्रमौली, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/187-ओ/12/असा.]

टिप्पण :—मूल विनियम भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना सं. फा. सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2013

F. No. 4/15015/30/2011.—Whereas certain draft regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, were published in exercise of the powers conferred clause (l) of sub-section (2) of Section 92 read with Section 26 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), in the notification of Government of India in the Food Safety and Standards Authority of India File No. 4/15015/30/2011 dated the 29th December, 2011 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 at pages 1 to 2, inviting objections or suggestion from the persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of ten days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette of India were made available to the public on the 2nd January, 2012;

And whereas the objections and suggestions received from the public have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, namely:—

REGULATIONS

1. Short title and commencement.—

(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) (Amendment) Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011,—

(a) in the opening portion of the preamble, for the words, brackets and figures "clause (l) of sub-section (2) of section 92 read with section 26" the word and figures "section 92" shall be substituted,

(b) in regulation 2.1, in sub-regulation 2.1.1, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided further that the proprietary food articles, as defined in sub-regulation 2.12.1 of the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011, relating to clauses (8) and (10) of sub-regulation 2.1.1 shall be exempted from the operation of these regulations".

K. CHANDRAMOULI, Chief Executive Officer

[ADVT-III/4/187-O/12/Exty.]

Note.— The principal regulations were published in the Gazette of India Extrordinary *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.